ई-मेल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26- अरेरा हिल्स किसान भवन भोपाल

क्रमांक/सतर्कता/2023-51/लश्कर/ 826 भोपाल दिनांक 03/08/2023

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय (समस्त)

2. भारसाधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषय:- अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 में पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 31.01.2023 के संबंध में।

संदर्भ:- म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 639/2023/14(AGR) दिनांक 13.07.2023 के साथ संलग्न आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल का पत्र क्रमांक/अपराध/न्या./अभि./अप0/12-2004 /366-जी/2023 दिनांक 30.06.2023.

--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 में मान. विशेष न्यायाधीश (भ0नि0अ0) ग्वालियर के पारित निर्णय दिनांक 31.01.2023 का अवलोकन करें, जिसकी प्रति संलग्न है। प्रकरण में मुख्यतः "मंडी समिति के कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों से मिलकर कृषि उपज मंडी समिति को क्षति कारित करने का आपराधिक षडयंत्र बनाया गया और व्यापारी द्वारा अपनी फर्म के आवेदन फार्म नं.10 पर गलत वाहन नंबर की जानकारी देकर गलत अनाज की मात्रा का लेख कर अनुज्ञा पत्र में गलत जानकारी भरवाकर निराश्रित सहायता शुल्क एवं मंडी शुल्क की चोरी कर यह जानते हुए कि उनके द्वारा प्राप्त अनुज्ञा पत्रों में की गयी प्रविष्टियां कूटरचित है, मंडी समिति लश्कर के साथ छल कारित किया गया। फर्मों द्वारा मंडी में कृषि उपज को क्रय करके अन्य स्थान भेजने हेतु अनुज्ञा पत्र तो जारी कराये लेकिन मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क अदा नहीं किया गया और अदा करने का उल्लेख अनुज्ञा पत्र के आवेदन में न करते हुए मात्र बिल क्रमांक का उल्लेख किये जाने" से उत्पन्न अनियमितता के आधार पर संबंधितों पर आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

Gmail Office of MD Samb <mdmandiboard@gmail.com>

संशोधित अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 म प्र शासन विरुद्ध कमल किशोर न्याधीश (श्र0नि0अ0) ग्वालियर द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 31.01.2023 के संबंध में ।

2 messages

Rajendra Ganeshe <rajendra.ganeshe@mp.gov.in> Thu, Jul 13, 2023 at 3:04 AM
To: mdmandiboard <mdmandiboard@gmail.com>

From: "Rajendra Ganeshe" <rajendra.ganeshe@mp.gov.in>
Cc: "ASHOK BARNWAL" <psagriculture@mp.gov.in>
Sent: Thursday, July 13, 2023 1:03:56 PM
Subject: Fwd: अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 म प्र शासन विरुद्ध कमल किशोर न्याधीश (श्र0नि0अ0) ग्वालियर द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 31.01.2023 के संबंध में ।

From: "Rajendra Ganeshe" <rajendra.ganeshe@mp.gov.in>
To: "mdmandiboard" <mdmandiboard@gmail.com>
Sent: Thursday, July 13, 2023 1:02:14 PM
Subject: अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 म प्र शासन विरुद्ध कमल किशोर न्याधीश (श्र0नि0अ0) ग्वालियर द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 31.01.2023 के संबंध में ।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. MD/2494 दि. 13/7/2023
शाखा Add (शिकायत)

2 attachments

IMG_0004.pdf
737K

kamal kishor.pdf
10865K

Office of MD Samb <mdmandiboard@gmail.com> Thu, Jul 13, 2023 at 4:44 AM
To: CS Vashistha AD MPSAMB <ad.mpsamb@gmail.com>

[Quoted text hidden]

--
MANAGING DIRECTOR,
MADHYA PRADESH STATE AGRICULTURE MARKETING BOARD,
26, KISAN BHAWAN, ARERA HILLS, BHOPAL

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. 161 दिनांक 14-07-2023
शाखा विधि (शि.)
निज सहायक अपर संचालक

2 attachments

IMG_0004.pdf
737K

kamal kishor.pdf
10865K

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 639/2023/14(AGR)   13/07/2023

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

विषय : **अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 म प्र शासन विरुद्ध कमल किशोर न्यायाधीश(भ०नि०अ०) ग्वालियर द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 31.01.2023 के संबंध में।**

संदर्भ:- ई.ओ.डब्ल्यू. से प्राप्त पत्र क्रमांक 388 जी, दिनांक 30.06.2023

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की प्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है। प्रकरण में अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 में 1. श्री कमल किशोर अग्रवाल 2. श्री देवेन्द्र सिंह भदौरिया 3. श्रीमती मीना अग्रवाल 4. श्रीचन्द्र के संबंध मान. विशेष न्यायाधीश (भ०नि०अ०) ग्वालियर के पारित निर्णय दिनांक 31.1.2023 (पृष्ठ 4) द्वारा दोषसिद्ध किये जाने का लेख है तथा आरोपी राजेश सिंह एवं संजय जौहरी फरार है, का वेध करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश है।

[illegible] प्रकरण में [illegible] आगामी कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(आर.के.[illegible])
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक 639/2023/14(AGR)   13/07/2023

प्रतिलिपि:-

स्टॉफ ऑफिसर अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (E.O.W.) मध्यप्रदेश
42, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)–462011
दूरभाष–0755–2443405

क्रमांक/अपराध/ग्वा./अभि./अप0/12–2004/ 366-61 /2023 भोपाल, दिनांक 30-6-23

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय वल्लभ–भवन, भोपाल.

विषय– अपराध क्रमांक 12/2004 विशेष प्रकरण क्रमांक 01/15 म0प्र0शासन विरूद्ध कमल किशोर एवं अन्य में माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अ0) ग्वालियर द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय दिनांक 31.01.2023 के संबंध में।
सन्दर्भ– प्रकोष्ठ का पत्र क्र0/अपराध/ग्वा0/अभि0/12(04)/82–जी/2016 दिनांक 18.02.2016

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रकोष्ठ में दर्ज अपराध क्रमांक 12/2004 में विवेचना उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अ0) ग्वालियर में वि0प्र0क्र0 01/15 दिनांक 26.12.2015 को चालान प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई है।

प्रकरण में माननीय विशेष न्यायाधीश विशेष(भ्र0नि0अ0) ग्वालियर द्वारा आरोपी 1. कमल किशोर अग्रवाल पुत्र गुलाबचंद अग्रवाल 2. देवेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया 3. श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नि श्री दीपक अग्रवाल 4. श्रीचन्द पुत्र श्री हरचूमल में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2023 को दोषसिद्ध किया गया है, तथा आरोपी राजेश सिंह एवं संजय जौहरी फरार है। प्रकरण मे दोषसिद्ध आरोपी निम्नानुसार है।

क्रमांक	अभियुक्त का नाम	धारा भ्र0नि0अ0 व भादवि	कारावास सश्रम	अर्थदण्ड	कुल अर्थदण्ड
1.	कमल किशोर अग्रवाल पुत्र गुलाबचंद अग्रवाल	420 भादवि	03 साल	30,000/–रू0	60,000/–रू0
		420 भादवि	03 साल	30,000/–रू0	
2.	देवेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया	420 भादवि	03 साल	[illegible]	[illegible]
3.	श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नि श्री दीपक अग्रवाल	420 भादवि	02 साल	6,000/–रू0	6,000/–रू0
4	श्रीचन्द पुत्र श्री हरचूमल	420 भादवि	03 साल	12,000/–रू0	12,000/–रू0

माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अ0) ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2023 की छाया प्रति कृपया **अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।**

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

30/6/23
(कल्पवी त्रिवेदी)
सहायक महानिरीक्षक(पुअ)
हेतु–महानिदेशक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल (म0प्र0)

पृ0/क्रमांक/अपराध/ग्वा./अभि./अप0/12–2004/ /2023 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि–

1/ अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ–भवन, भोपाल की ओर प्रकोष्ठ के पृ0पत्र क्र0/अपराध/ग्वा0/अभि0/12(04)/82–जी/2016 दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2/ **पुलिस अधीक्षक इकाई** ग्वालियर की ओर उनके पत्र क्र0/आ0अ0प्र0इ0ग्वा0/न्याया0/882 /2023 दिनांक 24.02.2023 के सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ।

(कल्पवी त्रिवेदी)
सहायक महानिरीक्षक(पुअ)
हेतु–महानिदेशक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल (म0प्र0)

(9)

(3) श्रीमती मीना अग्रवाल, आयु लगभग 42 वर्ष, पत्नी श्री दीपक अग्रवाल,

	तत्कालीन प्रोपराईटर फर्म डी.एम.ट्रेडर्स, दहीमण्डी लश्कर ग्वालियर, निवासी–लक्ष्मी कटरा दहीमण्डी लश्कर जिला ग्वालियर म.प्र. (4) श्रीचन्द, आयु लगभग 56 वर्ष, आत्मज श्री हरचूमल, तत्कालीन प्रोपराईटर फर्म संगम ट्रेडर्स, बहोड़ापुर, ग्वालियर, निवासी–सिकन्दर कंपू सिंधी कॉलोनी जिला ग्वालियर म.प्र.
अभियुक्त कमल किशोर अग्रवाल की ओर से	श्री ऋषि कुमार कटारे अधिवक्ता।
अभियुक्त देवेन्द्र सिंह भदौरिया की ओर से	श्री जी.एस. तिवारी अधिवक्ता।
अभियुक्त मीना एवं श्रीचन्द की ओर से	श्री राजेश कुमार बिलौरिया अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 तक
प्र.सू.रि. की तारीख	09.03.2004
अभियोग पत्र पेश होने की तारीख	16.01.2015
आरोपों के विरचना की तारीख	12.01.2018
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	19.01.2018
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	27.01.2023
निर्णय की तारीख	31.01.2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	31.01.2023

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई

193

दोषमुक्त / अदायगी में व्यतिक्रम पर

				धारा 12 भ्र. नि.अ. 1988	एवं धारा 420/120 के स्थान पर धारा 420, भा.दं.सं. में दोषसिद्धी	6 माह का सश्रम कारावास	
4.	श्री चंद	16.01.15	16.01.15	धारा 420/120बी, 467, 468, 471, भा.द.वि. 1860 एवं धारा 12 भ्र. नि.अ. 1988	धारा 467, 468, 471, भा.द.वि. 1860 एवं धारा 12 भ्र.नि. अ. 1988 में दोषमुक्त एवं धारा 420/120 के स्थान पर धारा 420, भा.दं.सं. में दोषसिद्धी	धारा 420 भा. दं.वि. में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12,000/– रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम पर 6 माह का सश्रम कारावास	नित

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची :–

अभियोजन :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.–1	मानसिंह	जप्ती पंचनामा संबंधी साक्षी
अ.सा.–2	श्रीमती सीमा गुर्जर	शिकायती आवेदन संबंधी साक्षी
अ.सा.–3	लालाराम आर्य	जिला परिवहन कार्यालय शिवपुरी से वाहनों के दस्तावेज संबंधी साक्षी
अ.सा.–4	रायसिंह राजपूत	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय गुना से वाहनों के दस्तावेज संबंधी साक्षी
अ.सा.–5	सूर्य प्रताप सिंह	जानकारी संबंधी साक्षी।
अ.सा.–6	[illegible]	क्षेत्रीय [illegible]

1424703/2023/VB CRU

195

2.	प्रदर्श पी–2/प्र.सा.1	रजिस्टर।
3.	प्रदर्श पी–3/अ.सा.2	शिकायती आवेदन पत्र श्रीमती सीमा सिंह गुर्जर
4.	प्रदर्श पी–4/अ.सा.3	ई.ओ.डब्लू. ग्वालियर को जिला परिवहन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी का पत्र दिनांक 02.04.2013।
5.	प्रदर्श पी–5/अ.सा.4	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर को भेजा गया पत्र दिनांक 19.03.2013।
6.	प्रदर्श पी–6/अ.सा.4	अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर के भेजे गये पत्र के साथ संलग्न वाहन कमांक–एम. पी.06–ई–[illegible] का पर्टीकूलर।
7.	प्रदर्श पी–7/अ.सा.5	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबल संभाग मुरैना द्वारा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर को भेजा गया पत्र दिनांक 23.03.2013
8.	प्रदर्श पी–8/अ.सा.5	रजिस्ट्रेशन पर्टीकूलर वाहन कमांक–एम.पी.06/1810 दिनांक 23.03.2013
9.	प्रदर्श पी–9/अ.सा.5	रजिस्ट्रेशन पर्टीकूलर वाहन कमांक–एम.पी.06–1428 दिनांक 23.03.2013
10.	प्रदर्श पी–10/अ.सा.5	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबल संभाग मुरैना द्वारा न्यायालय को भेजी गई जानकारी का पत्र दिनांक 01.04.2019
11.	प्रदर्श पी–11 लगायत 19 /अ.सा.5	रजिस्ट्रेशन पर्टीकूलर वाहन कमांक–एम.पी.06/1824, एम.पी. 06–2664, एम.पी.06–6409, एम.पी. 06–ई–0588, एम.पी.06–ई–4683, एम. पी.06–ई–2818, एम.पी. 06–ई–2677 एम.पी.06–1810 एम.पी.

197

क्रमांक-370, 371, 376, 394, 397
398, 411, 412, 418, 422, 426, 427,

		440, 452, 458, 443, 465, 508, 514, 518 I
23.	प्रदर्श पी–57 / अ.सा.10	कृषि उपज मण्डी शुल्क जमा करने की रिपोर्ट दिनांक 30.09.2013
24.	प्रदर्श पी–58 / अ.सा.10	कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर को भेजा गया पत्र दिनांक 14.10.2013
25.	प्रदर्श पी–59 / अ.सा.11	कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति टोंक द्वारा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ग्वालियर को फर्म सौभाग्यमल पदमचन्द जैन के पंजीकृत न होने संबंधी जानकारी का भेजा गया पत्र दिनांक 13.05.2013
26.	प्रदर्श पी–60 / अ.सा.12	लायसेंस रजिस्टर पुराना थोक व्यापार रजिस्टर नंबर–2 वर्ष 1986–87 मंडी लश्कर ग्वालियर
27.	प्रदर्श पी–61 / अ.सा.12	जप्ती पंचनामा रजिस्टर लायसेंस पुराना थोक व्यापार रजिस्टर नंबर–2 एवं 1 वर्ष 1986–87 मंडी लश्कर ग्वालियर दिनांक 31.01.05
28.	प्रदर्श पी–62 / अ.सा.13	स्टोर स्कन्द पंजी वर्ष 2000–2001
29.	प्रदर्श पी–63 / अ.सा.13	माधुरी ट्रेडिंग कंपनी की लायसेंस फाईल
30.	प्रदर्श पी–64 / अ.सा.13	बजरंग ट्रेडर्स की लायसेंस फाईल
31.	प्रदर्श पी–65 / अ.सा.13	संगम ट्रेडर्स की लायसेंस फाईल
32.	प्रदर्श पी–66 / अ.सा.13	एस.के.इंटरप्राईजेज की लायसेंस फाईल
33	प्रदर्श पी–67 / अ.सा.13	द्वारिका गृह उद्योग की लायसेंस फाईल
34	प्रदर्श पी–68 / अ.सा.13	[illegible] ट्रेडर्स की लायसेंस फाईल

स्व- प्रतिरक्षा

सं. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं।	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं।	

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. क.	भौतिक सामग्री	विवरण
	कोई आर्टिकल अंकित नहीं।	

:: नि र्ण य ::

1. अभियुक्त कमल किशोर (भा.दं.सं. की धारा 420/120–बी दो बार) देवेन्द्र सिंह भदौरिया, श्रीचंद एवं श्रीमती मीना अग्रवाल के विरूद्ध भा.दं. सं. की धारा 420 सहपठित धारा 120–बी, 467, 468, 471 एवं धारा 12 भ्र.नि. अ. के तहत आरोप इस आशय के हैं कि वित्तीय वर्ष 2000–2001 में उन्होंने तत्कालीन लिपिक कृषि उपज मण्डी लश्कर ग्वालियर सागरमल के साथ मिलकर कृषि उपज मण्डी लश्कर ग्वालियर को क्षति कारित करने का आपराधिक षडयंत्र बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त कमल किशोर द्वारा अपनी फर्म माधुरी ट्रेडिंग कंपनी के आवेदन फार्म नं.10 पर गलत वाहन नंबर की जानकारी देकर गलत अनाज की मात्रा का लेख कर अनुज्ञा पत्र में गलत जानकारी भरवाकर प्राप्त कर निराश्रित सहायता शुल्क

201

द्वारा यह जानते हुए कि उनके द्वारा प्राप्त अनुज्ञा पत्रों में की गयी प्रविष्टियां कूटरचित हैं उन्हें असली के रूप में उपयोग किया। अभियुक्तगण के विरूद्ध यह भी आरोप है कि उन्होंने सह अभियुक्त सागरमल तत्कालीन लिपिक कृषि उपज मण्डी लश्कर ग्वालियर से असत्य अनुज्ञा पत्र जारी करने का षडयंत्र बनाया और उस षडयंत्र में असत्य जानकारियों को मिथ्या दुर्व्यपदेशन कर लोक सेवक सागरमल को उसके पदीय कर्तव्य से विरत रहने हेतु दुष्प्रेरित किया।

2. **यह अविवादित है कि वर्तमान मामले में प्रकरण के आरोपी वशिष्ठ नारायण सिंह की दिनांक 01.07.2007 को अनुसंधान के दौरान ही मृत्यु हो गयी। अभियुक्त सागरमल गर्ग के विरूद्ध पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद उसकी दिनांक 15.06.2016 को मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध भी दिनांक 02.08.2016 को कार्यवाही समाप्त की गयी। सह अभियुक्त संजय जौहरी एवं राजेन्द्र सिंह भदौरिया के अनुपस्थित होने से उन्हें दिनांक 12.05.2017 को फरार घोषित कर उनके संबंध में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।**

3. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष कृषि उपज मण्डल समिति लश्कर श्रीमती मीना सिंह द्वारा लिखित शिकायत महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल को इस आशय की गयी कि मण्डी कार्यालय लश्कर में कार्यरत सागरमल गर्ग ने निरीक्षित शाखा कर्मचारियों के एरियर्स की राशि सहित अनुज्ञा पत्रों में हेरा–फेरी की है। फर्जी अनुज्ञा पत्र काटकर राजस्व जमा नहीं कराया है। मुख्यालय के निर्देशानुसार उक्त आवेदन के संबंध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रकरण शून्य पर पंजीबद्ध कर जप्ती एवं तलाशी की कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात प्रकरण शून्य पर पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी। असल कागजी

203

	शिन्दे की छावनी लश्कर	अग्रवाल				
4.	बजरंग ट्रेडर्स कम्पूरोड लश्कर	देवेन्द्र सिंह भदौरिया	94	1,44,19,205	28,838	2,68,384
5.	महाकाली ट्रेडर्स महाराजपुरा	राजेन्द्र सिंह भदौरिया	95	86,02,420	17,205	1,72,048
6.	डी.एम.ट्रेडर्स, दहीमण्डी ग्वालियर	श्रीमती नीना अग्रवाल	11	19,40,865	3,882	38,817
7.	संगम ट्रेडर्स, बहोड़ापुर	श्रीचंद	28	31,08,325	6,217	62,166
	कुल				1,67,110	16,71,104

5. कृषि उपज की कीमत पर मण्डी फीस 02 प्रतिशत और निराश्रित सहायता राशि 0.20 प्रतिशत प्राप्त करना थी, लेकिन आपराधिक षडयंत्र के तहत अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये जमा राशि की रसीद कमांक के स्थान पर केवल बिल का नंबर उल्लेख करते हुए अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं जिनका कोई सत्यापन नहीं किया गया है। जब विभिन्न मण्डियों से सत्यापन हेतु अनुज्ञा पत्र कृषि उपज मण्डी लश्कर में आये तो उन्हे भी सत्यापित कर दिया गया। फर्मों का न तो एसेसमेंट किया गया और न ही एसेसमेंट हेतु फर्मों पर कोई कार्यवाही की गयी। कृषि उपज मण्डी समिति टांक के सचिव द्वारा पत्र से अवगत कराया गया कि फर्म सौभाग्यमल पदमचंद जैन कृषि उपज मण्डी समिति में पंजीकृत नहीं है। कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर के सचिव द्वारा पत्र द्वारा प्रेषित जानकारी के माध्यम से बताया गया कि बजरंग ट्रेडर्स द्वारा मैसर्स सत्य नारायण एण्ड कंपनी, मदन लाल बिरदीचंद, रामअवतार एण्ड कंपनी, जगदीश नारायण रामेश्वर प्रसाद से वाणिज्यिक संव्यवहार किया गया है। अनुज्ञा पत्र की 20 पुस्तकें स्टोर कीपर चन्द्रशेखर साहू द्वारा सागरमल गर्ग को प्रदाय कर उनकी प्राप्ति ली गयी, जिन पर विभिन्न फर्मों के प्रोपराईटर के साथ सागरमल गर्ग ने अनुज्ञा पत्रों की सांठ–गांठ करके राजस्व राशि का अपवंचन किया है। इस प्रकार

209

लिये जारी की जाती थी, उसके पश्चात् नवीनीकरण कराया जाता है। उक्त लायसेंस की फाईलों में अधिकारी के नाम, पदमुद्रा का उल्लेख नहीं है तथापि सचिव व ओ.आई.सी. प्रभारी का उल्लेख है। चंद्रशेखर साहू (अ.सा.13) ने कहा है कि वह नहीं बता सकता कि उक्त फाईलों के आधार पर लायसेंस जारी किया गया था या नहीं।

15. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अभियुक्तगण द्वारा न तो अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये हैं न ही उस हेतु कोई आवेदन किया है। इस संबंध में लायसेंस फाईल प्रदर्श पी–63 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि नवीन अनुज्ञा पत्र लेने हेतु माधुरी ट्रेडिंग कम्पनी के पोपराईटर कमल किशोर अग्रवाल द्वारा आवेदन पत्र के साथ अनेक दस्तावेजों सहित स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है साथ ही बैंक की एफ.डी.आर. भी प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रदर्श पी–63 की फाईल में एफ. डी.आर. और शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न है। उक्त शपथ पत्र हेतु स्टाम्प भी कमल अग्रवाल पुत्र गुलाबचंद अग्रवाल द्वारा ही कय किया गया है, उक्त शपथ पत्र नोटरी बी.एस.तोमर के समक्ष तैयार किया गया है। उक्त शपथ पत्र के साथ ही गुलाबचंद अग्रवाल द्वारा माधुरी ट्रेडिंग कम्पनी की जमानत देने बाबत शपथ पत्र संलग्न है। उल्लेखनीय है रसीद किराया मूल रूप से प्रस्तुत है, जिस पर कमल का हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रपत्रों की मूल रूप में अनुज्ञा पत्र की फाईल में उपस्थिति से ही यह प्रमाणित हो रहा है कि अभियुक्त कमल किशोर द्वारा ही माधुरी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से गल्ले के थोक व्यापारी के रूप में अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किया गया था।

16. प्रदर्श पी–67 की फाईल के अवलोकन से भी यह प्रकट हो रहा है कि कमल किशोर अग्रवाल ने द्वारिका गृह उद्योग की ओर से गल्ले के थोक व्यापार की नवीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया था। उक्त फाईल में

211

के रूप में संलग्न है। जमानतदार का शपथ पत्र भी मूल प्रति के रूप में लगा हुआ है।

20. इस प्रकार अनुज्ञा पत्र की फाईलों में अभियुक्तगण के नाम मूल शपथ पत्रों की संलग्नता सहित जमानतदार के शपथ पत्र और एफ.डी. की प्रस्तुति से यह भलीभांति प्रमाणित हो रहा है कि अभियुक्तगण ने विभिन्न फर्मों के नाम से थोक व्यापार हेतु मंडी के लायसेंस हेतु आवेदन किया था। समुचित अभिरक्षा से प्रस्तुत की गई उक्त फाईलों की पवित्रता पर अविश्वास का कोई आधार नहीं है।

21. अनुज्ञा पत्रों की फाईलों में संलग्न नोटशीट के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि लायसेंस बाबू, प्रभारी सचिव और सी.आई.सी. के द्वारा टीप अंकित करते हुये मंडी अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है और स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के बाद हस्ताक्षर किये गये हैं, जिससे यह भलीभांति प्रमाणित हो रहा है कि अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाने की समस्त औपचारिकता नोटशीट पर पूर्ण हो चुकी थी, जिसके अनुशरण में अनुज्ञप्ति प्रदाय की जाने की उपधारणा हो रही है, क्योंकि यदि उस नोटशीट के आलोक में अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाती तो नोटशीट पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने की टीप लगाई जाती। इसके विपरीत प्रदर्श पी–65 की फाईल में अनुज्ञप्ति कमांक 223/10.02.2000 अंकित है। इसी प्रकार द्वारिका गृह उद्योग की फाईल पर अनुज्ञप्ति क्रमांक 222/10.02.2000 लेख है। प्रदर्श पी–68 की डी.एम.ट्रेडर्स की फाईल पर भी अनुज्ञप्ति कमांक 238 दिनांक 25.02.2000 अंकित है। इस प्रकार अनुज्ञप्ति की फाईलों के अनुसरण में संबंधित फार्मों को अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रमाणित है।

22. अब आरोपित फर्मों के प्रोपराईटर द्वारा मंडी में व्यवसाय करते [illegible]

हस्ताक्षर सचिव डी.एन.सिंह के है जिन्हें वह साथ काम करने के कारण पहचानता है।

25. प्रदर्श पी–34 के आदेश के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त आदेश कृषि उपज मंडी समिति लश्कर के सचिव द्वारा अनुज्ञा पत्र जारी करने में व्यापारियों को आने वाली समस्या को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए सागर मल गर्ग को अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया और उक्त आदेश की प्रतिलिपि स्टोर शाखा को भी प्रेषित की गई जिसके आलोक में स्टोर शाखा द्वारा अनुज्ञा पत्र बुक सागर मल गर्ग को प्रदान की गई। इस प्रकार प्राधिकार पत्र प्रदर्श पी–34 को बाद में बनाने की परिस्थिति स्वीकार योग्य नहीं है।

26. श्यामबिहारी शर्मा (अ.सा.8) का कहना है कि कृषि उपज मंडी लश्कर ग्वालियर के स्टोरकीपर द्वारा सागर मल गर्ग को अनुज्ञा पत्र की बुक क्रमांक–370, 371, 376, 394, 397, 398, 411, 412, 418, 422, 426, 427, 440, 452, 458, 443, 465, 508, 514 एवं 518 जारी की गई थी। उक्त अनुज्ञा पत्रों बुकों में संलग्न अनुज्ञा पत्रों में सचिव की पद मुद्रा अंकित है। सभी अनुज्ञा पत्रों पर सागरमल गर्ग के हस्ताक्षर है। अजय शर्मा (अ.सा.16) का कहना है कि कृषि उपज मंडी समिति लश्कर ग्वालियर के सहायक उपनिरीक्षक रामनरेश त्रिपाठी द्वारा ई.ओ.डब्ल्यू. मोतीमहल ग्वालियर में मूल अनुज्ञा पत्र बुक प्रस्तुत की गई थी जिन्हें निरीक्षक ए.एस.दुबे ने उसके और उपनिरीक्षक सी.एस.चौहान के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था। प्रदर्श पी–37 लगायत प्रदर्श पी–58 की अनुज्ञा पत्र बुक अभिलेख पर है।

27. अब यह देखा जाना है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या अनुज्ञा पत्र प्राप्त करते हुए अन्य मंडियों को माल भेजा गया। इस संबंध में रणवीर सिंह

1424703/2023/VB CRU

215

लालराम आर्य (अ.सा.3) का कहना है कि अभिलेख के अनुसार वाहन क्रमांक–एम.पी.08ए3751 हरिचरण पुत्र भजन लाल के नाम पंजीकृत होकर एस्कोर्ट कंपनी का ट्रेक्टर था। इस प्रकार माधुरी ट्रेडिंग कम्पनी की ओर से 150 क्विंटल गेंहू को ले जाने में सामर्थ्यवान न होने के बावजूद ट्रेक्टर के क्रमांक का उल्लेख किया गया है।

31. अभियोजन का कहना है कि कृषि उपज की कीमत पर मंडी फीस 2 प्रतिशत एवं निराश्रित सहायता राशि 0.20 प्रतिशत मंडी जमा करनी थी। अभियुक्तगण की फर्मों ने मंडी में कृषि उपज को क्रय करके अन्य स्थान भेजने हेतु अनुज्ञा पत्र तो जारी कराये, लेकिन मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क अदा नही किया और उन्हें अदा करने का उल्लेख अपने अनुज्ञा पत्र के आवेदन में न करते हुए मात्र बिल क्रमांक का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन का यह भी कहना रहा है कि म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र जारी करने के प्रावधानों में 01 अप्रैल 2000 से विपणन नियमन उपविधि के तहत निर्धारित प्रारूप पर ही अनुज्ञा पत्र के जारी होने का उल्लेख था और हॉलोग्राम लगाये जाने का निर्देश था। न्यायालय के मत में हॉलोग्राम लगाये जाने की परिस्थिति का पालन मंडी कर्मचारियों द्वारा किया जाना था।

32. प्रदर्श पी–37 की अनुज्ञा पत्र बुक क्रमांक–370 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अनुक्रमांक–18451 से लेकर 18459 के अनुज्ञा पत्र माधुरी ट्रेडिंग कंपनी के पक्ष में जारी हुए है जिनके संबंध में कोई आवेदन भी अभिलेख पर नही है। इसी प्रकार 18474 से 18500 जिसमें बजरंग ट्रेडर्स के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी हुए है, कोई आवेदन ही नहीं है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–38 की अनुज्ञा पत्र बुक क्रमांक–371 के क्रमांक–18501 लगायत 18540 तक में कोई आवेदन ही नही है जबकि अनुज्ञा पत्र बजरंग

इस प्रकार माधुरी ट्रेडिंग कंपनी दाल बाजार ग्वालियर के प्रोपराईटर कमल किशोर के पक्ष में 276 अनुज्ञा पत्र जारी किये गये जिसके माध्यम से कृषि उपज की कुल कीमत 2,65,76,904/– रूपये की कृषि उपज पर मण्डी शुल्क और निराश्रित सहायता शुल्क अदा नहीं किया गया। मण्डी से बाहर भेजकर व्यापार करते हुए लाभ अर्जित किया गया और इस प्रकार कृषि उपज की कुल कीमत पर मण्डी शुल्क 5,31,558/– रूपये और निराश्रित सहायता शुल्क 53,154/– रूपये की राशि का अपवंचन किया गया। विभिन्न फर्मों द्वारा किये गये अपवंचन का ब्यौरा निम्नानुसार है –:

क.	फर्म का नाम	प्रोपराईटर का नाम	जारी अनुज्ञा पत्र संख्या	कृषि उपज की कुल कीमत	निराश्रित सहायता शुल्क 20 प्रतिशत	मण्डी शुल्क 2 प्रतिशत	कुल अपवंचन
1.	माधुरी ट्रेडिंग कंपनी, दाल बाजार ग्वालियर म.प्र.	कमल किशोर अग्रवाल	276	2,65,76,904	53,154	5,31,538	5,84,692
2.	द्वारिका गृह उद्योग, शिन्दे की छावनी लश्कर	कमल किशोर अग्रवाल	99	84,77,138	16,954	1,69,542	1,86,496
3.	बजरंग ट्रेडर्स कम्पूरोड लश्कर	देवेन्द्र सिंह गदौरिया	96	1,44,19,205	28,838	2,88,384	3,17,222
4.	डी.एम.ट्रेडर्स, दहीमण्डी ग्वालियर	श्रीमती मीना अग्रवाल	11	19,40,865	3,882	38,817	42,699
5.	संगम ट्रेडर्स, बहोड़ापुर	श्रीचंद	28	31,08,325	6,217	62,166	68,383
	कुल						11,99,492

36. उल्लेखनीय है कि निरीक्षक रविन्द्र तिवारी का कहना है कि उसने जांच उपरांत प्रदर्श पी–82 का अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रदर्श पी–79 में दिये गये विवरणों का व्यापार करना अभियुक्तगण द्वारा पाया गया है और जिसके संबंध में कोई राशि चुकायी नहीं गयी। अभियोजन का कहना है कि मंडी शुल्क प्राप्त करने बाबत् कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा यदि

व्यक्ति द्वारा फर्म के नाम का लैटर पैड छपवाकर अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

39. भा.द.सं. की धारा 463 में कूटरचना को परिभाषित किया गया है जिसके तहत किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने या किसी दावे या हक का समर्थन करने के लिये मिथ्या दस्तावेज की रचना कूटरचना है। मिथ्या दस्तावेज की रचना को धारा 464 आई.पी.सी. में परिभाषित किया गया है। यदि धारा 464 के तहत किसी दस्तावेज की मिथ्या दस्तावेज के रूप में रचना प्रमाणित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में कूटरचना का अपराध अप्रमाणित रह जाता है और यदि कूटरचना अप्रमाणित रह जाती है तो भा.द. सं की धारा 467 468 471 के अपराध भी अप्रमाणित रह जाते हैं।

40. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्तगण ने कृषि मण्डी समिति के कर्मचारियों से मिलकर मण्डी शुल्क और निराश्रित सहायता शुल्क को जमा न करके कर का अपवंचजन करते हुए छल कारित किया है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन मामले में व्यापारियों के आपसी आपराधिक षडयंत्र की कोई परिस्थिति प्रकट नहीं हो रही है। अभियोजन के अनुसार भी व्यापारियों ने कृषि उपज मण्डी के कर्मचारियों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र किया था। उल्लेखनीय है कि कृषि उपज मण्डी के अधिकारियों की मृत्यु होने से उनके संबंध में कार्यवाही समाप्त की गयी है और वर्तमान मामले में मंडी के किसी कर्मचारी पर विचारण नहीं हो रहा है।

41. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले के अनुसार अभियुक्तगण ने अनुज्ञा पत्रों में गलत वाहन नंबर, गलत अनाज की मात्रा लेख करते हुए कूटरचना कारित की है।

there are two possibilities. The first is that he bona fide believes that the property actually belongs to him. The second is that he may be dishonestly or fraudulently claiming it to be his even though he knows that it is not his property. But to fall under first category of `false documents', it is not sufficient that a document has been made or executed dishonestly or fraudulently. There is a further requirement that it should have been made with the intention of causing it to be believed that such document was made or executed by, or by the authority of a person, by whom or by whose authority he knows that it was not made or executed.

When a document is executed by a person claiming a property which is not his, he is not claiming that he is someone else nor is he claiming that he is authorised by someone else. Therefore, execution of such document (purporting to convey some property of which he is not the owner) is not execution of a false document as defined under Section 464 of the Code. If what is executed is not a false document, there is no forgery. If there is no forgery, then neither Section 467 nor Section 471 of the Code are attracted."

24. In Mir Nagvi Askari vs. Central Bureau of Investigation, (2009) 15 SCC 643, this Court, after analysing the facts of that case, came to observe as follows:

"A person is said to make a false document or record if he satisfies one of the three conditions as noticed hereinbefore and provided for under the said section. The first condition being that the document has been falsified with the intention of causing it to be believed that such document has been made by a person, by whom the person falsifying the document knows that it was not made. Clearly the documents in question in the present case, even if it be assumed to have been made dishonestly or fraudulently, had not been made with the

पुनश्च

47. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया।

48. अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अभियुक्तगण वर्ष 2015 से ही मामले का विचारण कर रहे हैं। वे वृद्ध होकर अस्वस्थ हैं। अतः उदार दृष्टिकोण अपनाया जावे।

49. विशेष लोक अभियोजक ने अपने तर्क में कहा है कि अभियुक्तगण ने छल करते हुए बहुत अधिक मात्रा में राजस्व की चोरी की है। अतः कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये।

50. वर्तमान मामले में अभियुक्तगण ने बेईमानीपूर्ण आशय से मण्डीकर एवं निराश्रित सहायता शुल्क को अदा किये बिना कृषि उपज मण्डी लश्कर ग्वालियर से अनुज्ञा पत्रों को प्राप्त कर छल कारित किया है। उक्त परिस्थितियों सहित न्यायालय के मत में आरोपित अपराध की प्रकृति, अभियुक्तगण द्वारा निभाई गई भूमिका, उनके दायित्व सहित अभियुक्तगण की आयु, विचारण की अवधि आदि को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है :-

क	अभियुक्त का नाम	धारा	परिणाम	कारावास सश्रम	अर्थदण्ड	कुल अर्थदण्ड	अतिरिक्त
1.	कमल किशोर	420 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	03 साल	30,000/- रूपये	60,000/- रूपये	6 माह सश्रम
		420 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	03 साल	30,000/- रूपये		6 माह सश्रम
2.	देवेन्द्र सिंह भदौरिया	420 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	03 साल	25,000/- रूपये	25,000/- रूपये	6 माह सश्रम
3.	श्रीमती मीना अग्रवाल	420 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	02 साल	6,000/- रूपये	6,000/- रूपये	6 माह सश्रम
4.	श्रीचंद	420 भा.दं.सं.	दोषसिद्ध	03 साल	12,000/- रूपये	12,000/- रूपये	6 माह सश्रम